पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)
एक परिचय

बी.डी. बोरकर
अध्यक्ष, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक)

प्रकाशक
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)

Central Office: 111, Astha Complex, Dahej Bypass Road,
Nandelav, Tal. & Dist. Bharuch, Gujrat-392001

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) एक परिचय

बी.डी. बोरकर, अध्यक्ष, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक)

प्रकाशक

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)

Central Office: 111, Astha Complex, Dahej Bypass Road,
Nandelav, Tal. & Dist. Bharuch, Gujrat-392001

प्रथम आवृत्ति : सितम्बर 2018 (1000 प्रतियां)

सहयोग राशि 10/- रुपए

वितरक

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)

Central Office: 111, Astha Complex, Dahej Bypass Road,
Nandelav, Tal. & Dist. Bharuch, Gujrat-392001

वितरण कार्यालय

962/ई, 100 फुटा रोड, केनरा बैंक के पास, लिटिल फ्लावर
इंटरनेशनल स्कूल के सामने, बाबरपुर, दिल्ली-110032

मुद्रक

ए.बी. प्रिंटर्स, 3954, गली अहिरान,
पहाड़ी धीरज, दिल्ली-110006

सामाजिक आंदोलन का इतिहास

यह सर्वमान्य इतिहास है कि लगभग 1500 बीसी के आस-पास आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था और गैर-बराबरी पर आधारित अपनी 'चार्तुवर्ण' की प्रणाली को जबरन भारतीयों पर थोपा, अर्थात् भारतीय समाज को चार वर्णों में विभाजित किया और विशाल मूलनिवासी बहुजन समाज को अंतिम वर्ण अर्थात् शूद्र में रखा। उन्हें उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करने का काम सौंपा और उनको शिक्षा (ज्ञान बल), अस्त्र-शस्त्र रखने (शस्त्र बल), और सम्पत्ति (धन बल) के अधिकार से वंचित कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि आर्य लोग साम, दाम, दंड एवं भेद की नीति से किसी तरह सत्ता पर काबिज तो हो गए परंतु उनकी दो समस्याएं थीं। पहली कि वे संख्या में कम थे और दूसरी कि वे बहुसंख्यक मूलनिवासी बहुजन समाज को ज्यादा समय तक नियंत्रित कैसे रखें? इसलिए कुछ अंतराल बाद आगे चलकर उन्होंने इस शूद्र वर्ण के लोगों को भी अछूत शूद्र एवं सछूत शूद्र में वर्गीकृत कर इनको श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धान्त पर 6000 जातियों में विभक्त कर दिया। क्योंकि उनका यह मानना था कि यदि मूलनिवासी बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोग एकजुट बने रहेंगे तो वे वापस उभर सकते हैं और राजनीतिक सत्ता को छीन सकते हैं और अपनी मूल वैज्ञानिक, समतावादी एवं लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को फिर से स्थापित कर सकते हैं जैसा कि वे सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व से पालन कर रहे थे।

तथागत बुद्ध पहले और सबसे बड़े समाज क्रांतिकारक हैं, जो क्षत्रिय नहीं बल्कि इस देश के मूलनिवासी थे। भारत मे सामाजिक सुधार का इतिहास उनके साथ प्रारम्भ होता है और भारत में सामाजिक सुधार का कोई भी इतिहास उनके महान उपलब्धियों का संज्ञान में लिए बिना पूर्ण नहीं होगा। तथागत बुद्ध ने आर्यन सोशल सिस्टम के चार्तुवर्ण की व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक क्रांति लायी। लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का महान कार्य उन्होंने अपने भिक्खु संघ के माध्यम से किया। तथागत बुद्ध द्वारा स्थापित समतावादी और मानवतावादी दर्शन को

सम्राट अशोक सहित मौर्य वंश के सभी राजाओं ने पालन किया। 185 बी. सी. में पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण ने घुसपैठ करके मौर्य वंश के दसवें उत्तराधिकारी बृहद्रथ का सेनापति बनकर एक दिन सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसका कत्ल कर दिया। शुंग राज्य में प्रतिक्रांति हुयी और सामवेदी ब्राह्मण सुमति भार्गव द्वारा मनुस्मृति लिखी गयी और श्रेणीबद्ध असमानता की व्यवस्था को एक बार फिर पूरी कठोरता से भारतीय बहुसंख्यक समाज पर लागू किया गया। कई राजवंशों ने मनुस्मृति के तहत भारत पर शासन किया। इसके बाद गुप्त काल आया, जो मूलनिवासी बहुजनों के लिए इतिहास का काला अध्याय है।

मुगलों ने इतिहास के मध्यकाल के दौरान भारत पर शासन किया। ब्राह्मणों ने मुगलों से एक समझौते के तहत हाथ मिलाया कि वे इस शर्त के साथ मुगलों का समर्थन करेंगे कि मुगल श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था, जिससे कि शूद्र वर्गों के अधिकारों की कीमत पर ब्राह्मण वर्ग असीमित भौतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का आनंद उठा सके, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यद्यपि कि इस्लाम मूसावाद (समता) की बात करता है फिर भी मुगलों ने ब्राह्मणों से समझौते की शर्तों के कारण मनु की कानूनी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया और शूद्रों पर होने वाले अत्याचार से मुक्ति दिलाने का कुछ भी प्रयास नहीं किया और उन पर मनुस्मृति के तहत जातिगत गैर-बराबरी का व्यवहार और अन्याय-अत्याचार पहले की भांति ही जारी रहा। इस गैर-बराबरी के व्यवहार, अन्याय-अत्याचार और ब्राह्मणी अंधविश्वास एवं पाखंडवाद के विरुद्ध मूलनिवासी बहुजन समाज के विभिन्न संतों एवं गुरुओं ने आवाज उठाई और इसे चुनौती दी और कुछ हद तक मूलनिवासी बहुजन समाज को इससे मुक्ति दिलाई। मध्यकालीन संतों एवं गुरुओं में चोखामेला, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक और संत तुकाराम इत्यादि संतों एवं गुरुओं ने अपने-अपने क्षेत्र में मनु विधान को चुनौती दी।

इसके बाद अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने बंगाल से अपना विजय अभियान प्रारम्भ किया। अंग्रेजों ने शूद्र एवं अति शूद्र वर्ग के लोगों को अपनी सैन्य सेवा में भर्ती होने का अवसर दिया और स्थानीय राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अधिकतर छोटे-छोटे प्रांतों पर धीरे-धीरे कब्जा कर

लिया।

राष्ट्रपिता फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर सेठजी एवं भट्टजी के ब्राह्मण-बनिया गठजोड़ के विरोध मे शूद्र एवं अतिशूद्र को संगठित किया और गैर-बराबरी पर आधारित ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार किया। सत्यशोधक समाज के आंदोलन के अनुयायियों द्वारा, आंदोलन का विघटन कर 1934 में फैजपुर, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में विलय करने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा किया गया। बाबा साहब ने घोषित किया कि वह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के सामाजिक क्रांति के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए उनके एकमात्र अनुयायी हैं और फिर उन्होंने इस आंदोलन को व्यवस्थित ढंग से चलाया। जब उन्हें भारत का संविधान लिखने का सुअवसर मिला, तो उन्होंने न केवल शूद्र एवं अतिशूद्र वर्ग के लोगों के अधिकारों को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के रूप में संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों के तहत संरक्षित किया बल्कि भारत के प्रत्येक पुरुष एवं महिला नागरिकों के अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचारों की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत क्रांति एवं प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल देश प्रतिक्रांति से गुजर रहा है।

2. संवैधानिक जनादेश

भारत के संविधान ने हमारे देश में एक समतावादी समाज की संकल्पना की है, जहां जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) भारत में वास्तविक प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन चरित्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है।

3. उद्देश्य

भारत के संविधान के प्रति सम्मान एवं इसमें पूर्ण विश्वास होने के कारण पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) का उद्देश्य भारत को एक लोकतांत्रिक व समाजवादी समाज बनाना एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करना, बनाए रखना और इसे सामान्य रूप से सामाजिक,

आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण से मुक्त रखते हुये निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण क्रांति के माध्यम से प्रयास करना है।

(क) संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्र का नाम भारत अर्थात् इंडिया 'India that is Bharat' अपनाने के बावजूद भी समाज के कुछ लोग जान-बूझकर हमारे देश को 'हिन्दुस्तान' कहकर संबोधित करते हैं। पार्टी, देश की जनता को शिक्षित करके इस बारे में संविधान द्वारा अपनाये गये राष्ट्र के नाम 'भारत' से ही राष्ट्र को संबोधित करे।

(ख) पार्टी, देश के हर नागरिक को भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करेगी जिससे कि सभी नागरिक बिना डर और किसी बाधा के उपरोक्त अधिकार को हासिल कर सके।

(ग) पार्टी, संविधान मे उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप नीतियां तैयार करने के लिए वर्तमान सरकारों पर दबाव बनायेगी और जब कभी भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इसे सत्ता हासिल होगी तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप नीतियाँ बनायेगी और पूरी ताकत से इस पर अमल करेगी।

(घ) पार्टी के लिए राजनीति का मतलब है मानव द्वारा मानव के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करना और जातिवाद को समाप्त कर, अंधविश्वास का उन्मूलन करना, कट्टरपंथ समाप्त करना और सभी प्रकार के नफरत को मिटाना, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, धर्म, नस्लवाद, जनजाति, जाति, पंथ या रीति-रिवाज/आस्था/विश्वास/संस्कृति या परंपराएं के आधार पर हो और विशेष रूप से अस्पृश्यता को मिटाकर भारत में वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक समाज को स्थापित करना और बनाए रखना है।

(ड) पार्टी, प्रत्येक भारतीय नागरिक को शिक्षित करने का प्रयास करेगी कि प्रत्येक भारतीय के साथ न केवल कानून के समक्ष समानता का व्यवहार करें बल्कि समानता के जो हकदार हैं उन्हें समानता प्रदान करे, और इसी के अनुसार पार्टी वहाँ भी समानता लाएगी जहां पर यह अभी अस्तित्व में नहीं है और जहां समानता को नकारा जायेगा उनके विरुद्ध काम करेगी।

(च) पार्टी, प्रत्येक भारतीय के अवसर की समता के सिद्धांत को इस

प्रावधान के साथ स्वीकार करेगी जिन लोगो के पास अतीत में कोई भी अधिकार नहीं था उनको, जिनके पास अधिकार पहले से थे, के ऊपर प्राथमिकता हासिल हो।

(छ) पार्टी, लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को बंधुआ मजदूरी, गरीबी और भय के वातावरण से मुक्त कराने का प्रयास करेगी जिससे कि सभी नागरिक स्वतंत्रता का आनंद उठा सके।

(ज) पार्टी का लोकतंत्र में प्रगाढ़ विश्वास है और यह भी दृढ़ विश्वास है कि समाज के सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व युक्त सरकार एक कुशल सरकार से बेहतर होती है। इसलिए यह न्यायपालिका, मंत्रिमंडल/कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, रक्षा, पुलिस, उद्योग, नौकरशाही सहित सभी संस्थानो में सभी वर्गों का आनुपातिक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगी और जब पार्टी सत्ता मे आएगी तो इसे पूरी तरह से लागू करेगी।

(झ) पार्टी की यह दृढ़ राय है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता, राष्ट्र की अखंडता के लिए एक संभावित खतरा है, क्योंकि राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक एवं आर्थिक अत्याचार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसलिए पार्टी जीवन के सभी क्षेत्रों से सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी।

(1) उपरोक्त उद्देश्यों एवं सिद्धांतों और भारतीय लोकतंत्र के पिता बाबा साहब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारत के संविधान जिसे उन्होंने 25.11.1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था, में निर्धारित उद्देश्यों के अनुपालन में पार्टी निम्न अन्य बिन्दुओं पर कार्य करेगी।

(a) पार्टी सामान्य रूप से देश के सभी श्रेणियों से आम जनता को और विशेष रूप से शैक्षिक/आर्थिक/सामाजिक रूप से पिछड़े एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों में जागरूकता लायेगी, तैयार करेगी और उनको गतिमान कर संगठित करेगी।

(b) पार्टी किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, दैनिक मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों, कुशल श्रमिकों एवं भारत में अन्य अकुशल मानव संसाधन को लिए न्याय दिलाने के लिए उनको

जागरूक, गतिमान और संगठित करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो आंदोलन भी करेगी।

(c) पार्टी शैक्षिक, आर्थिक और सहकारी गतिविधियां चलायेगी।

(d) भारत के नागरिकों के नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए सभी जो भी आवश्यक होगा, वह सारी गतिविधियों को करेगी।

(e) पार्टी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साहित्य, मीडिया, संस्थाएं, ऑफशूट विंग, मशीनरी और उपकरण आदि सहित विभिन्न प्रकार के संसाधनों और बुनियादी ढांचे का निर्माण, विकास, प्रबंधन, विकास और उपयोग करेगी।

(f) साहित्य का मुद्रण, प्रकाशन, बिक्री और वितरण करेगी।

(g) भारत को विश्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुपर पावर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय (द्विपक्षीय, बहुराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय आदि) स्तर की गतिविधियों में भाग लेगी।

(h) उपर्युक्त वर्णित किसी भी या सभी उद्देश्यों और पार्टी के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य गतिविधियों को करेगी।

सदस्यता

4. प्राथमिक सदस्यता

1. पार्टी रु. 10/- (केवल दस रुपये) का भुगतान करने पर पार्टी के संविधान में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी इच्छुक नागरिकों को प्राथमिक सदस्यता प्रदान करेगी। सदस्यता नामांकन की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी और वर्ष के 31 दिसंबर को स्वतः समाप्त हो जाएगी, भले ही नामांकन की तिथि अन्य हो।

2. सदस्यता की निरंतरता वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 20/-(केवल बीस रुपये) का भुगतान करने और सार्वजनिक जीवन में उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा।

3. प्राथमिक सदस्य को पार्टी के निर्देशों के मुताबिक लोगों के साथ बातचीत करने के लिए पार्टी के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी स्तर पर कार्यकारी समिति के सदस्य के लिए पात्र नहीं हैं।

बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य पार्टी का सदस्य है तो वह पार्टी की सदस्यता के लिए योग्य नहीं है।

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य प्रकार के संगठन का सदस्य है जिसका लक्ष्य और उद्देश्य पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्यों के लिए हानिकारक हैं, तो वह भी पार्टी का सदस्य बनने के लिए अयोग्य है। किसी भी कारण बताए बिना, आवेदक को सदस्यता से वंचित करने के लिए पार्टी के पास पूर्ण विवेकाधिकार है।

सक्रिय सदस्यः

1. प्रत्येक सदस्य जो 21 वर्ष की आयु से कम नहीं है, जो पार्टी का लगातार प्राथमिक सदस्य रहा हैं, फॉर्म 'बी' में लिखित घोषणा करने और रु 100/- (केवल एक सौ), की वार्षिक सदस्यता के भुगतान करने पर पार्टी का सक्रिय सदस्य बन सकता है।

2. प्रत्येक सक्रिय सदस्य न्यूनतम रु 1000/- (एक हजार रुपए) पार्टी निधि के रूप में लोगों से प्राप्त करेगा और सीधे पार्टी के खाते में या संबंधित यूनिट के वित्त सचिव/कोषाध्यक्ष के माध्यम से पार्टी निधि में जमा करेगा।

3. प्रत्येक सक्रिय सदस्य हर साल कम से कम 100 प्राथमिक सदस्यों को नामांकित/नवीनीकृत करेगा, इसमे असफल रहने वाले सदस्य की सक्रिय सदस्यता रद्द करने के लिए पार्टी समीक्षा कर सकती है।

4. कोई भी सदस्य (प्राथमिक/सक्रिय) अस्पृश्यता, जातिवाद और सांप्रदायिक/धार्मिक भेद-भाव का पालन या ढोंग नहीं करेगा।

5. हर सक्रिय सदस्य को समय-समय पर पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त और नियुक्त किए गए कुछ सार्वजनिक कार्यों में लगाया जाएगा।

6. कम से कम एक वर्ष की निरंतरता वाले सक्रिय सदस्य पार्टी के राष्ट्रीय जनरल कौंसिल/राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं और राज्य, जिला, तालुका/तहसील या ब्लॉक स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र हैं जैसा कि आगे बताया गया है।

सदस्यता की समाप्तिः

किसी भी व्यक्ति की प्राथमिक और साथ ही सक्रिय सदस्यता मृत्यु,

इस्तीफा देने, हटाने या निर्धारित वार्षिक शुल्क/सदस्यता शुल्क का भुगतान न करने पर समाप्त कर दी जायेगी।

5. संगठनात्मक संरचना

पार्टी के संविधान में विस्तार से संगठनात्मक संरचना दी गई है। पार्टी के अधोमुखी पदानुक्रम और अंगों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(i) राष्ट्रीय/केंद्रीय
(ii) राज्य/केंद्र शासित राज्य/अधिसूचित क्षेत्र या परिषद
(iii) मण्डल/आयुक्तालय
(iv) जिला/मेट्रो
(v) तहसील/तालुका/उप-जिला/शहर
(vi) ब्लॉक/मंडल/नगर पंचायत/वार्ड

प्रत्येक स्तर पर इकाइयों के पदाधिकारियों के लिए संरचना, शक्ति, कार्य और चुनाव की प्रक्रिया पार्टी संविधान में दिये गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था पार्टी के संविधान में प्रदान की गई है, अर्थात

1. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी)
2. राष्ट्रीय सामान्य परिषद (एनजीसी)
3. राष्ट्रीय महासभा (एनजीए)

इन राष्ट्रीय निकायों के पदाधिकारियों की संरचना, शक्तियां, कार्य और चुनाव प्रक्रिया पार्टी के संविधान में विस्तार से प्रदान किए गए हैं।

6. विंग/शाखाएँ

अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के लिए निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पार्टी समय-समय पर आवश्यकता अनुसार अलग-अलग विंग और शाखाएं खोल सकती है। ट्रेड यूनियन, छात्र विंग, किसान विंग, मेडिकल एड विंग्स, कानूनी सहायता विंग, व्यापारी विंग, चैरिटी संस्थाएं, सहकारी विंग, महिला विंग आदि की तरह पार्टी की विंग हो सकती है।

विवाद समाधान/शिकायत निवारण तंत्र के अलावा पार्टी में अनुशासन का रख-रखाव, बैठक के दौरान कामकाज के लिए आचरण के बुनियादी नियम, निर्णय लेने की प्रक्रिया, पार्टी के लिए फंड का संग्रह, लेखा

रख-रखाव और विलय, विभाजन एवं विघटन की प्रक्रिया, पार्टी के संविधान में विस्तार से दिया गया है।

कार्यक्रम

7. आर्थिक नीति

संविधान के लागू होने के 68 वर्षों बाद भी हर नागरिक को राज्य के संसाधनों में अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, क्यों? कुछ लोग अकूत धन इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसे लोग दिन-दर-दिन समृद्ध होते जा रहे हैं, जबकि बहुत लोग दो समय के भोजन से भी वंचित हैं।

पार्टी संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 के प्रावधानों के अनुरूप आर्थिक नीतियां तैयार करेगी और देश में आर्थिक समानता लाने के लिए पूर्ण प्रयास करेगी एवं मौजूदा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करेगी।

पिछले तीन वर्षों से 2016-17 तक बीजेपी शासन के दौरान, कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और घटकर 17.3 प्रतिशत हो गया, जबकि 2013-14 कांग्रेस सरकार के दौरान यह 18.20 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारो ने लगातार कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया है, यद्यपि कि कृषि क्षेत्र में लगे ग्रामीण किसान एवं गरीब खेतिहर मजदूरों ने इन्हें समर्थन देकर शासन करने का अवसर दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों मूल रूप से तथाकथित उच्च जातियों और शहरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए लगातार ग्रामीण जनता को नजरअंदाज करती है और धोखा देती है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) जनता को शिक्षित करेगी और कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक साथ उजागर करेगी।

8. सामाजिक नीति

भारत का संविधान लागू होने के 68 साल बाद आज भी व्यक्ति-व्यक्ति में जाति के आधार पर गैर बराबरी का व्यवहार मौजूद है। समाज के बहुत बड़े तबके के साथ अछूतपन का व्यवहार किया जा रहा है बावजूद संविधान की धारा 17 के अनुसार अछूतेपन को खत्म किया गया है। पार्टी इसे खत्म करने के लिए निरंतर कार्य करेगी और जाति-जातियों में भाईचारा पैदा करने का प्रयास करेगी। सत्ता में आते ही पार्टी संबंधित कानूनों को सख्ती

से लागू करेगी।

9. शैक्षणिक नीति

मौजूदा सरकारों ने शिक्षा का निजीकरण करके शिक्षा महंगी कर मूलनिवासी बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया है। पाठ्यक्रम बनाने का अधिकार भी निजी संस्थाओं को सौंप दिया, जिससे कि सरकारी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी निजी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने विद्यार्थियों से जीवन की दौड़ में पिछड़ जायेंगे और उनके सामने शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद मजदूरी करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। पार्टी सत्ता में आते ही शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेगी एवं समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करेगी।

10. रोजगार नीति

कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में एलपीजी की नीति लगाकर ऐलान किया था कि इस नीति से निजी क्षेत्र बहुत ज्यादा मात्रा में नौकरियों का निर्माण होगा। बीजेपी की अटल बिहारी बाजपेई सरकारने कांग्रेस की नीतियों को सख्ती से आगे बढ़ाया और मौजूदा मोदी सरकार एलपीजी नीतियों का आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।

हाल ही में सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार 10 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। इनमें से 5 लाख नौकरियां मूलनिवासी बहुजन समाज को मिलनी थी। परन्तु सरकार इन पदों पर जान बूझकर नियुक्ति नहीं कर रही है। जिससे मूलनिवासी बहुजन समाज 10 लाख करोड़ रुपये से वंचित हो रहा है। 2006 से लेकर 2014 तक सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार 483 लाख नौकरी तलाशने वाले आवेदकों से कांग्रेस एवं भाजपा सरकार सिर्फ 3.39 लाख रोजगार उपलब्ध करा पायी और वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट जारी होने के बावजूद वर्ष 2016 और 2017 के आंकड़े जानबूझकर जारी नहीं किये गये जिससे कि मौजूदा मोदी सरकार का झूठ सामने आ जाता है। पीपल्स पार्टी सत्ता में आते ही 10 लाख बैक लॉग के रिक्तियों को विशेष अभियान के तहत भर्ती करेगी और ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में आर्थिक नीति का निर्धारण करेगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का निर्माण हो।

11. कृषि नीति

पिछले तीन वर्षों से 2016-17 तक बीजेपी शासन के दौरान, कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान घटकर 17.3 प्रतिशत हो गया, जबकि 2013-14 में कांग्रेस सरकार की दौरान यह 18.20 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारो ने लगातार कृषि क्षेत्र को नकारा है, यद्यपि कृषि क्षेत्र में लगे ग्रामीण किसान एवं गरीब खेतिहर मजदूरों ने इन्हें समर्थन देकर शासन करने का अवसर दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों मूल रूप से तथाकथित उच्च जातियों और शहरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए लगातार ग्रामीण जनता को नजरअंदाज करते है और धोखा देते है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) जनता को शिक्षित करेगी और कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीतियों को उजागर करेगी।

12. स्वास्थ्य नीति

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2018 को आरोग्य नीति के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया। प्रत्येक परिवार पर 5.00 लाख रुपये लागत से 10 करोड़ परिवारों का स्वास्थ्य बीमा कराने को ऐलान किया। अगर प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास किया जाये तो इसके लिए 50 लाख करोड रुपये की आवश्यकता पड़ेगी जो कि भारत सरकार के वित्तीय बजट के दोगुने से भी ज्यादा है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री द्वारा भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है।

हमारी पार्टी सत्ता में आते ही निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण करेगी और बेहतर सरकारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करायेगी।

13. महिलाओं की समस्या और उपचारात्मक उपाय

महिलाओं की एक लाख की आबादी के खिलाफ घटित अपराधों की कुल संख्या अर्थात् अपराध दर 2007 में 16.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 53 प्रतिशत हो गई है। बलात्कार की घटनाओं के मामले में 2007 के बाद 88 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अपराध दर में 1.8 से 6.3 की तेजी आई है। महिलाओं पर शील भंग करने के इरादे से हमलों की श्रेणी वाले अपराधों के मामले में 119 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

देश की आबादी की 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016 का मसौदा यद्यपि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न उपायों और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करने की जोरदार ढंग से बात करता है लेकिन यह नीति भी कागज पर ही सिमट कर रह गई क्योंकि महिलाओं पर होने वाले अपराध की दर बढ़ गई है और उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) सत्ताधीन सरकारों पर दबाव डालकर उपरोक्त नीतियों को लागू करने के लिए दबाव निर्माण करेगी। जब हमारी पार्टी सत्ता में आयेगी तो महिलाएं जो देश की आधी आबादी है को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप उनका वाजिब हक देकर उनके साथ न्याय करेगी और समता का व्यवहार सुनिश्चित करेगी।

14. पर्यावरण नीति

जलवायु का वातावरण में उत्सर्जन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सीओपी पेरिस, फ्रांस में 2015 में आयोजित किया गया था। यह देखा गया था कि जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल या डीजल जलाने से कार्बन डाईऑक्साइड मुख्य जलवायु के रूप में वातावरण में छोड़ देते हैं। परिवहन कुल वैश्विक जलवायु उत्सर्जन का लगभग 13 प्रतिशत है। CO_2 का जलवायु में सबसे ज्यादा योगदान है, जिसमें से दो तिहाई सड़क परिवहन से आता है यह ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है और पर्यावरण से संबंधित बीमारियों का कारण बनता है। भारत पर्यावरण स्वास्थय श्रेणी की सूची में सबसे नीचे है, जहां तक हवा की गुणवत्ता का सवाल है यह 180 में से 178 वें स्थान पर है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण स्वास्थय नीति पर बुरा असर हुआ है और इससे मौतों की संख्या बढ़ गयी है। 2.5 PM (Particulate Matter) के कारण मौतों की संख्या पिछले दशक में बढ़ है। वायु प्रदूषण से सालाना 1640113 मौतों का अनुमान है। (स्वास्थ्य मैट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान 2017)

सबसे खराब प्रदर्शन के बावजूद भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के नाम पर कार निर्माताओं को लाइसेंस जारी किया है। समृद्ध परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास शहरों में मोटर वाहन होते है जिसके पर्यावरण प्रदूषण से देश में गरीबों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पार्टी सत्ता में

आते हैं पर्यावरण प्रतिकूल उद्योगों को भारत में अपनी इकाइयों की स्थापना करने की अनुमति नहीं देगी। पार्टी इसके अलावा और अन्य क्षेत्र जिनका मानव जीवन पर विपरीत परिणाम होता है। उन क्षेत्रों में मानव हित में नीतियां बनायेगी।

❖❖❖❖❖